रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2014/माघ 08, 1935
No. 33] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2014/MAGHA 08, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 जनवरी, 2014

बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/4/87/2014.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42, 64 यूएम और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2000 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (i) ये विनियम बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 कहलाएँगे ।

   (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 5 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :

   (i) सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए नये आवेदकों द्वारा प्राधिकरण को देय शुल्क सदस्यता के स्तर का विचार किये बिना एक हजार रुपये होगा।

   (ii) लाइसेंस प्रदान करना समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण सर्वेक्षक विनियम, 2000 के विनियम 3 अथवा 4, जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत बताई गई अपेक्षाएँ पूरी करने के अधीन है।

(iii) **सर्वेक्षक लाइसेंसीकरण पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान – नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क की अदायगी को भुगतान की एक विधि के रूप में माना गया है।**

3. **विनियम** 7(1)(**ख**) **में "दो सौ रुपये" शब्दों को "एक सौ रुपये" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।**

4. **अनुसूची, फार्म** – **आईआरडीए** – 1 – **एएफ** – **"सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन (वैयक्तिक)" की क्रम संख्या** 13 **को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा** :

शुल्क का भुगतान : **नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस**

सर्वेक्षक की सभी श्रेणियों के लिए लागू शुल्क

संस्थान द्वारा आबंटित सदस्यता के आधार पर सर्वेक्षक और हानि निर्धारक की श्रेणी	व्यक्तियों द्वारा देय राशि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
फेलो सदस्य	1000 रुपये + लागू सेवा कर
सह-सदस्य	
लाइसेंसधारी सदस्य	

1. फार्म – आईआरडीए – 3 – एएफ – "सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु फर्म अथवा कंपनी से आवेदन" की क्रम संख्या 5 में, शुल्क के भुगतान का निर्धारण करने वाले अंश को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

- शुल्क का भुगतान : नेट बैंकिंग/माँग ड्राफ्ट (डीडी)/एनईएफटी/आरटीजीएस
  सर्वेक्षक की सभी श्रेणियों के लिए लागू शुल्क

*कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/ साझेदार की सदस्यता का **उच्चतम** स्तर*	व्यक्तियों द्वारा देय राशि सर्वेक्षक और हानि निर्धारक
फेलो सदस्य	1000 रुपये + लागू सेवा कर
सह-सदस्य	
लाइसेंसधारी सदस्य	

6. **फार्म** – **आईआरडीए** – 5 **एएफ** – **"सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन" की क्रम संख्या** 8 **में** – 200/- **रुपये की राशि जहाँ भी विद्यमान है, वहाँ उसे** 100/- **रुपये और लागू सेवा कर से प्रतिस्थापित किया जाएगा।**

7. **फार्म** – **आईआरडीए** – 6 **एएफ** – **"सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस के नवीकरण हेतु फर्म अथवा कंपनी से आवेदन" की टिप्पणियों की क्रम संख्या** 1 **और** 2 **में**, 200/- **रुपये की राशि जहाँ भी विद्यमान है, वहाँ उसे** 100/- **रुपये और लागू सेवा कर से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।**

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[**विज्ञापन**. III/4/161/13/**असा.**]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 22nd January, 2014

Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) (Second Amendment) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg/4/87/2014.—In exercise of the powers conferred by sections 42, 64UM and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with section 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to further amend the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) Regulations, 2000, namely:

I. (i) These regulations may be called the Insurance Surveyors and Loss Assessors (Licensing, Professional Requirements and Code of Conduct) (Second Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulation 5 is substituted by the following :

(i) The fee payable to the Authority by fresh applicants for grant of licence to act as surveyors and loss assessors shall be one thousand Rupees notwithstanding the membership level.

(ii) Grant of licence is subject to fulfilment of requirements stated under Regulation 3 or 4 of IRDA Surveyor Regulations, 2000 as the case may be, as amended from time to time.

(iii) Payment of fees through online payment- net banking in Surveyor Licensing Portal considered as one of the modes of payment.

3. In regulation 7 (1) (b) the words “two hundred rupees”shall be substituted by the words “one hundred rupees”

4. The S. No. 13 of the Schedule, FORM – IRDA – 1 – AF – “Application for a Licence to act as Surveyor and Loss Assessor (Individual)”shall be substituted by the following:

Fee Payment: NET BANKING/DEMAND DRAFT/NEFT/RTGS

Fee applicable for all Surveyor categories

Category of surveyor and loss assessor based on the membership allotted by the Institute	Amount payable by individuals surveyor and Loss Assessor
Fellow member	Rs. 1000 + Applicable Service Tax
Associate Member	
Licentiate Member	

5. In S. No. 5 of FORM – IRDA – 3- AF–“Application from a Firm or Company for a licence to act as Surveyor and Loss Assessor”, the portion stipulating for Fee Payment shall be substituted as under :

- Fee Payment: Net Banking /Demand Draft/NEFT/RTGS

Fee applicable for all Surveyor categories

Highest level of membership of any of the Director/Partner of the company/Firm	Amount payable by individuals surveyor and Loss Assessor
Fellow Member	Rs. 1000 + Applicable Service Tax
Associate Member	
Licentiate Member	

6. In S. NO. 8 of FORM - IRDA - 5 AF – “Application for Renewal of a Licence to act as surveyor and Loss Assessor” – the amount of Rs. 200 wherever appearing shall be substituted by Rs. 100/- plus applicable service tax**.**

7. In S. No. 1 & 2 of the Notes of FORM – IRDA – 6AF – “Application from a Firm or Company for renewal of a Licence to act as a Surveyor and Loss Assessor”, the amount of Rs. 200/- wherever appearing shall be substituted by Rs. 100/- plus applicable service tax.

T.S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/13/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054